दैनिक

सुप्रीम न्यूज

हिन्दी समाचार पत्र

आर एन आई नंबर UPHIN/2010/33252

जनता का अखबार

वर्ष : 13 अंक : 303 गौतमबुद्धनगर, शनिवार, 07 जनवरी 2023 उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पृष्ठ : 04 मूल्य : 05 रूपये मात्र

आखिर क्यों नही रुकती ओवर रेटिंग और ब्लैक की बिक्री?

आबकारी निरीक्षक शराब के ठेकों पर कार्रवाई करने की बजाय शिकायतों पर पर्दा क्यों डाल रहे है?

देर रात्रि में ब्लैक व दिन भर ओवर रेट बेची जा रही शराब की शिकायतों को नजरअंदाज कर रहे आबकारी विभाग अधिकारी

(सुप्रीम न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट)

गौतम बुध नगर के सेक्टर 63 इंग्लिश वाइन शॉप और बियर मॉडल शॉप व sector 49 अंग्रेजी शराब, ग्रेटर नोएडा देवला बियर मॉडल शॉप विभिन्न सेक्टरों में ज्यादातर शराब के ठेकों पर खुलेआम दिन भर ओवर रेट बिक्री करते हैं। जो देर रात्रि में ब्लैक में बिक्री कर रहे हैं। सुप्रीम न्यूज संवाददाता ने देवला मैन दादरी रोड स्थित देशी शराब के ठेके के बारे में भी ग्राहकों से बातचीत की। देशी शराब के ठेके पर ग्राहकों द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता की कोई जानकारी नही दी गई। ऐसे ही कुछ और भी ठेके हैं जहां अनियमितताएं नही है। लेकिन देवला बियर मॉडल शॉप, सेक्टर 63 इंग्लिश वाइन शॉप और बियर मॉडल शॉप व sector 49 अंग्रेजी शराब ठेके के बारे में ग्राहकों की लगातार ओवर रेटिंग की शिकायत रहती है। आम तौर पर शराब व बियर के खरीदारों द्वारा शोशल मीडिया के माध्यम से ही आबकारी विभाग में शिकायत की जाती है। अधिकांश लोग शिकायत दर्ज करने से हिचकते हैं। आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा जनता के संकोचवश खुलकर शिकायत न किए जाने का भरपूर फायदा उठाया जाता है। जनता में जागरूकता की कमी होने के चलते शराब की ओवर रेटिंग को सहन करना पड़ता है।

दूसरी ओर इसी सब का लाभ आबकारी निरीक्षकों द्वारा भी उठाया जाता है। इसलिए अधिकारियों द्वारा ट्विटर आदि पर वीडियो तक वायरल होने पर भी फॉर्मेलिटी पूरी करके तथ्यों के साथ की गई शिकायतों को झूठा साबित करने में जुट जाते हैं। जिसमें कुछ पत्रकारों द्वारा भी ठेका मालिकों और आबकारी विभाग के अधिकारियों से सांठगांठ होने के चलते जन शिकायतों को झुठलाया जाता है। नव वर्ष पर कुछ पत्रकारों को आबकारी अधिकारी द्वारा दावत अरेंज करना अपने आप में एक प्रमाण है। जिससे साफ जाहिर होता है शराब के ठेकों पर चल रही ओवर रेटिंग और देर रात ब्लैक में शराब व बियर की बिक्री आबकारी निरीक्षकों के सह पर चल रही है। कई बार आबकारी अधिकारी ओवर रेटिंग और ब्लैक में बिक्री करने के मामले में कार्रवाई किए. जाने की बात करते रहते हैं। वास्तव में आबकारी विभाग द्वारा की गई कार्यवाही अधिक शिकायत आने पर ठेका मालिकों से सांठगांठ कर खाना पूर्ति के लिए की जातीं हैं। जिससे एक दिन के लिए भी ठेकों पर होने वाली अनियमितता नही रुकती।

गौतमबुद्धनगर पुलिस ने छात्रा के ईलाज के लिए ग्यारह लाख रुपए दिए

जब एक मां पुलिस में हो तो सब कुछ सम्भव है। कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह से जनपद वासियों की उम्मीदें जगी है।

मधु चमारी/सुप्रीम न्यूज

नोएडा। पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निदेर्शानुसार डीसीपी सेंट्रल नोएडा/मुख्यालय श्री रामबदन सिंह द्वारा घायल छात्रा स्वीटी के परिजनों से मुलाकात की गई। पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर की पहल पर गौतमबुद्धनगर के पुलिसकर्मियों के एक दिन के वेतन से एकत्र हुए 10 लाख रुपए के डीडी को डीसीपी मुख्यालय द्वारा घायल छात्रा के इलाज के लिए प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह द्वारा व्यक्तिगत तौर पर घायल छात्रा के इलाज के लिए एक लाख रुपए का चेक भी दिया गया है। आज दिनांक 06/01/2023 को पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निदेर्शानुसार डीसीपी सेंट्रल नोएडा/मुख्यालय श्री रामबदन सिंह द्वारा थाना बीटा 2 क्षेत्रांतर्गत एक्सीडेंट में घायल हुई छात्रा स्वीटी के परिजनों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की गई। उनके द्वारा घायल छात्रा के परिजनों को आर्थिक सहायता हेतु गौतमबुद्धनगर पुलिसकर्मियों की तरफ से एक दिन के वेतन से एकत्र हुए 10 लाख रुपए का डीडी व पुलिस कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह की तरफ से व्यक्तिगत तौर पर 1 लाख रुपए का चेक दिया। उन्हें हर प्रकार की मदद का आश्वासन भी दिया गया। पुलिस कमिश्नर द्वारा 01 लाख रुपए का अतिरिक्त चेक अपनी तरफ से दिया गया है जिससे उक्त छात्रा को बिना किसी रुकावट के बेहतर इलाज मिल सके।

पुलिस उपायुक्त द्वारा छात्रा के परिजनों को सूचित किया गया की पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह द्वारा पूरे प्रकरण को स्वयं मॉनिटर किया जा रहा है। डॉक्टर को बेहतर इलाज देने हेतु बताया गया एवं छात्रा के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की गई।

संपादकीय

क्या पिस्टल छिनना लापरवाही नही है?

संजय भाटी की कलम से

मेहरबानी करके पिस्टल छिनवा कर पैर में गोली मारने की बहादुरी बार बार न करें चोरी के केस का वारंटी गिरफ्तारी से इतना क्यों डर गया कि वह पुलिस हिरासत से भाग खड़ा हुआ? न्यायालय में उपस्थित न होने के चलते वारंट जारी हो जाना इस तरह का अपराध तो नही था जो किसी को पुलिस हिरासत से भागना पड़ा। चोरी के अपराध में कोई लम्बी चौड़ी सजा भी अभी उसे नही सुनाई गई थी। फिर भी पुलिस हिरासत से क्यों भागा?

एक अकेले मुकदमें के कारण कोई इस तरह भाग जाएगा। कम से कम मुझे तो हजम नही हो रहा। कुछ तो वजह रही होगी? कहीं ना कहीं पुलिसिया रबाब गांठने या फिर कोई दूसरा अनुचित दबाव जरुर रहा होगा। चोरी के अपराध की सजा भी इतनी नही होती की कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सही से कानूनी ज्ञान हो वह पुलिस हिरासत से भागने का ऐसा अपराध करेगा। जिसमें पैर में गोली लगने की गारंटी हो।

कौन सा पेशेवर अपराधी इस बात से भलीभांति परिचित नही है कि पुलिस हिरासत से भागने का सीधा मतलब ही पैर में गोली लगना है। पैर में गोली लगने का सीधा मतलब यह है कि दो पूर्णतया फर्जी मुकदमों का बढ़ जाना है। एक तो आर्म्स एक्ट दूसरे 307 आईपीसी और गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाना तय ही समझों।

वारंट में कितने दिन जेल में रह सकता है? या तो उसे इस बात की सही जानकारी पुलिस या अन्य किसी से भी नही मिली। या फिर उसे पुलिस कर्मियों द्वारा मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

आम तौर से पुलिस हिरासत से भागने के लिए भी तो कुछ कारण होना चाहिए? ऐसे ही कोई क्यों भागेगा? अब यदि उसके भागने का कोई प्रयाप्त कारण है तो वो स्वयं पुलिस को सामने लाना चाहिए।

हां हिरासत पर भाग जाने के कारण पुलिस की लापरवाही तो साफ साफ दिखाई दे रही है। जिसके लिए छः पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन हिरासत से भागने वाले व्यक्ति के द्वारा पिस्टल का छिना जाना और फिर पुलिस पर हमलावर होना भी तो पुलिस की लापरवाही से ज्यादा और कुछ भी तो नही है।

एक दरोगा की पिस्टल का छिनना वो भी पूरी टीम की मौजूदगी में क्या ये पुलिस टीम की बहादुरी है? वास्तव में तो यह हिरासत से मुलजिम के भाग जाने से भी बड़ी लापरवाही है। इस में पुलिस की जांबाजी तो बिल्कुल भी नही है। न ही इसमें ऐसी कोई बात है जिसके लिए पिस्टल छिनवाने वाले दरोगा की लापरवाही को उसके साथियों द्वारा पिस्टल छिनने वाले के पैर में गोली मारकर बहादुरी में बदला जा सकता।

यह किसी भी तरह से बहादुरी नही है। कदापि बहादुरी नही है। पुलिस वाले की पिस्टल छिने जाने की घटना में कितनी सच्चाई है? मैं इस पर तो कुछ भी नही कहना चाहता। इस तरह की लापरवाही की गिरफ्तार व्यक्ति एक पुलिस कर्मी की पिस्टल छिन ले। पुलिस के अधिकारियों द्वारा ऐसी लापरवाही के लिए दण्ड देना के बजाए यह प्रचार किया जाएं कि पैर में गोली मारकर बहादुरी की गई है। मेहरबानी करके भविष्य में ऐसी बहादुरी से बचें।

ध्यान रहे न तो हम ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को बेच रखा है। दूसरे पत्रकारिता भी गिरवी नही रखी है। न ही हम क्लबिया गैंग के सदस्य है। पुलिस अपनी लापरवाही से दण्डित होकर झुंझलाहट निकालने के लिए पिस्टल छिनवाने और पैर में गोली मारने की बहादुरी न करे तो ही अच्छा रहेगा। वरना ये बहादुरी सस्पेंसन तक सीमित रहने के बजाय बर्खास्तगी और सजा तक भी जा सकती है।

क्यों 2023 में महिलाओं को मिलेंगी अधिक नौकरियां

आर.के. सिन्हा

एक मशहूर बिजनेस अखबार ने कुछ दिनों पहले यह खबर प्रकाशित कर दी कि भारत के प्राइवेट सेक्टर में नए साल 2023 में महिलाओं की भर्तियों में तेजी आएगी। जब अधिकतर अखबारों तथा खबरिया चैनलों में निराशाजनक खबरों की भरमार रहने लगी है, तब किसी भी इंसान को उपर्युक्त खबर को पढ़कर सुकून तो मिलना ही चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी देश और समाज की पहचान इस बात से ही होती है कि वहां पर महिलाएं आर्थिक रूप से कितनी स्वावलंबी हैं। वे स्वावलंबी तो तब ही होंगी जब उन्हें सही ढंग से शिक्षित किया जाएगा और उन्हें रोजगार में पर्याप्त अवसर मिलेंगे। अपने पुरुष साथियों के बराबर दायित्व तथा वेतन भी मिलेगा। बेशक, जिन कंपनियों में महिला मुलाजिम होती हैं वहां पर माहौल सकारात्मक तो रहता ही है। इसलिए किसी दफ्तर का समावेशी होना बहुत जरूरी है।

दरअसल लार्सन एंड टूब्रो (एलएंडटी), आईटीसी, सिप्ला, प्रॉक्टर एंड गैंबल, एचडीएफसी बैंक आदि ने घोषणा भी कर दी है कि वे 2023 में महिला पेशेवरों को नौकरी देते वक्त कई तरह की सुविधाएं भी देंगे। उदाहरण के रूप में यदि किसी महिला कर्मी के पति या परिवार का किसी अन्य शहर में ट्रांसफर हो जाता है तो उसे भी वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मातृत्व अवकाश की समय सीमा भी बढ़ाई जा सकती है।

देखिए कोई बच्चों का खेल नहीं है एक कार्यशील महिला का होना। कार्यशील महिलाओं को घर के भी तमाम काम तो करने ही पड़ते हैं। आमतौर पर दफ्तर से घर आने के बाद हमारे यहां अब भी पतिदेव तो टीवी देखने में ही समय बिताने लगते हैं। पर कार्यशील महिला को यह छूट नहीं है। उसे रसोई भी देखनी होती और अपने बच्चों को पढ़ाना भी होता है। उसे ही बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में भी हाजिरी देनी होती है। इस लिहाज से प्राइवेट सेक्टर उन्हें कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देकर बहुत उपकार करेगा।

बेशक, अब महिलाएं भारतीय कार्यबल का एक अभिन्न अंग बनाती हैं। फैक्ट्री ऐक्ट (कारखाना अधिनियम) 1948, सेक्शन (खंड) 66(1)(बी), के अनुसार किसी भी महिला को किसी भी कारखाने में 6 बजे सुबह से लेकर शाम 7 बजे के बीच के समय के अलावा काम करने की अनुमति नहीं है। इस कानून का सख्ती से पालन होना चाहिए। इसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई हो। इसी तरह से बीड़ी और सिगार वर्कर (रोजगार की शर्तें) ऐक्ट 1966, सेक्शन (धारा) 25 के अनुसार किसी भी महिला को 6 बजे सुबह से लेकर शाम 7 बजे के बीच के समय के अलावा औद्योगिक परिसर में काम करने की अनुमति नहीं है।

ये सच है कि कार्यशील औरतें अपने काम के साथ पूरा न्याय करती हैं। जीवन का कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां अब ये न हों। ये सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों में भी शिखर पदों पर पहुंच रही हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जैसे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) तथा ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) में महिलाएं सब पदों पर हैं। इनका शिखर तक पहुंचना इस बात की गवाही है कि अब महिला पेशेवरों को सरकारी उपक्रमों के सबसे अहम पदों पर भी काम करने के अवसर मिलने लगे हैं।

इस बीच, भारत के आईटी सेक्टर में महिला पेशेवरों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), इंफोसिस, विप्रो, टैक महिंद्रा और माइंडट्री जैसी भारत की चोटी की आईटी कंपनियों में 31 दिसंबर, 2021 तक 10 कर्मचारियों में कम से कम 3 महिलाएं यानी कुल कार्यबल का 30 प्रतिशत थीं। भारत की प्रमुख आईटी सेवा कंपनी टीसीएस में महिला कर्मचारियों की संख्या लगातार औसतन 40 प्रतिशत के आसपास चल रही है। वहीं इन्फोसिस में महिला कर्मचारियों की संख्या भी 40 प्रतिशत है।

अब भी हमारे यहां कई प्रतिभाशाली महिलाएं मां बनने के बाद नौकरी छोड़ देती हैं। मां बनने के बाद दो-तीन साल का समय काफी मुश्किल भरे होते हैं। कैसे अपने बच्चे को घर पर छोड़ने के विचार से उनकी हिम्मत टूट जाती है। इस स्थिति को देखते हुए अब कंपनियों ने दफ्तर में ही क्रेच सुविधा देनी चालू कर दी है। अगर हो सके तो कंपनियों को अपनी महिला कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देते हुए उदारता का परिचय भी देना चाहिए। हां, कंपनियां अपनी वर्क फ्रॉम होम सुविधा का लाभ लेने वाली महिलाओं को हफ्ते-दस दिनों में एक बार दफ्तर रिव्यू के लिए बुला ही सकते हैं। यह सत्य है कि महिला कर्मी अपने दफ्तर के दायित्वों के प्रति ज्यादा ईमानदार और निष्ठावान रहती हैं।

इस बीच, सरकार को उन कंपनियों के धूर्त प्रबंधन पर एक्शन लेना चाहिए जो अपनी महिला कर्मियों को मेटर्निटी बेनिफिट देने तक में कोताही बरतते हैं। मेटर्निटी बेनिफिट ऐक्ट 1961, बच्चे के जन्म से पहले और बाद में निश्चित प्रतिष्ठानों में निश्चित अवधि के लिए महिला श्रम को नियंत्रित करता है और मातृत्व लाभ प्रदान करता है। इसके साथ ही भवन एवं अन्य कंस्ट्रक्शन (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 महिला लाभार्थी को मातृत्व लाभ के लिए वेलफेयर फंड (कल्याण निधि) प्रदान करता है।

ये सच है कि कार्यशील औरतें अपने काम के साथ पूरा न्याय करती हैं। जीवन का कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां अब ये न हों। ये सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों में भी शिखर पदों पर पहुंच रही हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जैसे हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) तथा ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) में महिलाएं सब पदों पर हैं। इनका शिखर तक पहुंचना इस बात की गवाही है कि अब महिला पेशेवरों को सरकारी उपक्रमों के सबसे अहम पदों पर भी काम करने के अवसर मिलने लगे हैं। पर अब भी बॉम्बे शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में सिर्फ 18 फीसद महिलाएं हैं। यह संख्या तो बढ़ाई ही जानी चाहिए। 18 प्र. को 28-30प्र. तक ले जाने में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिये। मान कर चलिए जब इन कंपनियों में सीईओ तथा डायरेक्टर के पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो इसका असर दूर तक होगा। उसी स्थिति में और उसी अनुपात में महिलाओं की भर्तियां भी बढ़ेगी।

दुर्गा, सीता और गांधारी की पूजा करने वाले भारत में आधी दुनिया को उसका हक तो देना ही होगा। ये जितनी जल्दी दे दिया जाए उतना ही अच्छा होगा। सारे देश को ठोस कोशिशें करनी होंगी ताकि बच्चियां स्कूल जाएं और खूब पढ़े। पूर्ण शिक्षित होने के बाद उन्हें उपयुक्त रोजगार मिले। बहरहाल, यह संतोष का विषय है कि अब तमाम दफ्तरों में महिलाएं काम करती हुई मिलती हैं। उनके विश्वास से लबरेज चेहरों को देखकर समझ में आ जाता है कि वह अब अपने हिस्से का आसमान छूने लगी हैं। (लेखक, वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं।)

ब्लॉगर

बच्चों का यौन शोषण और भारतीय परिप्रेक्ष्य

प्रियंक कानूनगो

भारत सदा से ही अपने मजबूत सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश के कारण अलग पहचान के साथ विश्व का मार्गदर्शन करता आ रहा है। हमारी संस्कृति और समाज चिरकाल से ही ऐसे मजबूत मूल्यों पर खड़ा है, जिसने अनेकों विपरीत परिस्थितियों में भी अपने को कायम रखते हुए न सिर्फ अपना बल्कि विश्व के विकास को भी गति दी है। किंतु हमारी यही विलक्षणता अकसर ऐसी शक्तियों के निशाने पर रही है जो अपनी संस्कृति और सामाजिक ढांचे को हम पर थोपना चाहते हैं। हमारा इतिहास ऐसे अनेकों उदाहरणों से पटा पड़ा है जब हमने अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए बलिदान दिए हैं।

हालांकि इतिहास के स्थान पर वर्तमान में होने वाले सांस्कृतिक आक्रमणों का स्वरूप बदल चुका है। वर्तमान में अपने सांस्कृतिक मूल्यों को थोपने के लिए बच्चों और टीनेजर को निशाना बनाया जा रहा है। कई मायनों में किसी संस्कृति को अपहृत करने का यह सबसे आसान तरीका भी है। कल्याण और नए विचारों को नाम पर बच्चों और टीनेजर के संबंध में ऐसी चर्चाओं को बल दिया जा रहा है जो हमारी संस्कृति और सामाजिक ढांचे तथा हमारी चिंताओं के विपरीत हैं। टीनेजर में रोमांटिक रिलेशनशिप पर चर्चा एक ऐसा ही विषय है जिसकी मुखालफत आजकल हमारे देश में भी की जा रही है और अनेक मंचों पर इस पर चर्चा जारी है।

उल्लेखनीय है कि निर्भया मामले के बाद देश में सख्त कानून की मांग हुई और उसके बाद भारत में बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए विश्व के सबसे सख्त कानूनों में से एक पॉक्सो अधिनियम लागू हुआ। इसके साथ ही बाल संरक्षण का विस्तृत और प्रभावी तंत्र भी विद्यमान है। जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र बच्चों में किसी भी प्रकार के यौन शोषण को अपराध माना गया है। किंतु नई चर्चाओं में अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि टीनेजर से बनाए गए यौन संबंधों को रोमांटिक रिलेशनशिप बताकर उसे कानून के उल्लंघन के दायरे से हटाने के प्रयास हो रहे हैं। इस संबंध में जो तर्क दिए जा रहे हैं वह भी अपुष्ट और अपरिपक्व हैं।

रोमांटिक रिलेशनशिप को मान्यता देना पूर्णतः पश्चिमी देशों के सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष का नेतृत्व करता है और भारत के मूल को समझे बिना यहां पर इस तरह की प्रथाओं की मान्यता का समर्थन करना हमें हमारे मूल से विमुख करने का प्रयास है। भारत ने हमेशा मानवता की भलाई को प्राथमिकता दी है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी ऐसे प्रयास का समर्थन करता है जो मानवता के हित में है। किंतु इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को ताक पर रखकर कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य हैं जो हमारे मूल सामाजिक ढांचे के विरुद्ध हो।

बात करें ऐसे संबंधों की तो पश्चिमी देशों में वहां के समाज और सांस्कृतिक मूल्यों के हिसाब से इसे तवज्जो दी गई होगी। किंतु वर्तमान में पश्चिमी देशों के साथ-साथ विश्व भर में कई देशों में इस तरह के संबंधों के नकारात्मक पहलू भी सामने आए हैं। जिस भी समाज में इसे मान्यता दी गई है वहां पर बच्चों को ग्रूम करके उन्हें यौन शोषण तथा देह व्यापार जैसे घृणित कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने के मामले लगातार दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यह सब रोमांटिक रिलेशनशिप के नाम पर हो रहा हैं, जिससे ऐसा करने वाले लोग कानून की गिरफ्त में नहीं आते। साथ ही संगठित रूप से इस तरह के रिलेशनशिप का इस्तेमाल मानव तस्करी के लिए भी किया जा रहा है। यह तो एक ऐसा पहलू है जो हम सबके सामने है और अनेकों मीडिया रिपोर्ट्स तथा लेखों में इस पक्ष को उजागर किया गया है।

ऐसा नहीं है कि यह उदाहरण सिर्फ विदेशों में दृष्टिगोचर हैं, हमारे समक्ष भी कई बार ऐसे मामले आए हैं जिसमें बालिकाओं को प्रेम के जाल में फंसाकर यौन शोषण तथा अन्य प्रकार के अनैतिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया गया हो। यह सब तब हो रहा है जब हमारे देश में बच्चों के यौन शोषण के संबंध में एक सख्त कानून प्रभावी हो। रुढ़िवादी मान्यताओं के चलते बाल विवाह में भी ऐसी दलील दी जाती है। हालांकि पॉक्सो अधिनियम जैसे कानूनों का ही प्रभाव है कि यह इस तरह के अवैध कार्य सीमित हैं और हम दोषियों को सजा देकर ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगा पा रहे हैं, अन्यथा हमारे देश में भी पश्चिमी देशों की भांति गिरोह बनाकर बालिकाओं को प्रेम जाल में फंसाने का संगठित व्यापार करने वालों के हौंसले बुलंद हैं।

शिक्षा की ओर देखें तो भारत में आधुनिक शिक्षा के स्तर में लगातार सुधार हो रहा है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 इसमें प्रमुख भूमिका निभाता रहा है, जो 06-14 आयुवर्ग के बच्चों के 08 कक्षा तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। हम अब इससे आगे बढ़ते हुए अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से इसे 12वीं कक्षा तक करने की दिशा में अग्रसर है, जिससे स्कूल ड्रापआउट को कम करते हुए सभी को शिक्षित किया जा सके। किंतु एक ओर जहां हम 12वीं कक्षा तक शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वहीं बच्चों के रोमांटिक रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देकर हम उसी क्षण इस अधिकार से वंचित कर देंगे। क्योंकि स्पष्ट है जब बच्चे खासकर टीनेजर ऐसे संबंधों में पड़ते हैं तो वहां उनकी शिक्षा बाधित होने की प्रबल संभावना रहती है। ऐसे में जब हम अपने समाज को शिक्षा के शिखर तक पहुंचाना चाहते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप की परिकल्पना हमारे इस पथ में एक बड़ी बाधा साबित हो सकती है।

इसके साथ ही ऐसा भी देखा गया है कि जोबालक-बालिकाएं रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, उनके व्यवहार में नकारात्मक बदलाव होने की प्रबल संभावना रहती है और उनकी सामाजिक शिक्षा प्रभावित होती। ऐसे मूल्यवान समय में जब वह अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर आगे का पथ प्रशस्त कर रहे होते हैं, उस समय ऐसे संबंध में आने से न सिर्फ उनकी शिक्षा बाधित होती है बल्कि देश अपनी मूल्यवान प्रतिभा को भी खो रहा होता है, जिसपर उसका भविष्य टिका है।

बात करें अन्य पहलुओं की तो ऐसे संबंधों का स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर होता है। यह आमतौर पर देखा गया है कि जब कोई बालिका प्रेमजाल में फंसकर गर्भवती हो जाती है तो न सिर्फ यह उसके स्वास्थ्य के लिए खराब होता है बल्कि जिस बच्चे को वह जन्म देती है वो भी अनेकों स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रसित होते हैं। इसका एक नकारात्मक सामाजिक पहलू भी है। हमारे समाज में रोमांटिक रिलेशनशिप को आमतौर पर सामाजिक स्वीकार्यता नहीं मिली है। ऐसे में जब बालिकाएं असुरक्षित यौन संबंधों के कारण गर्भवती होकर किसी बच्चे को जन्म देती है तो सामाजिक स्वीकार्यता न मिलने से मां और बच्चे दोनों का जीवन कष्टकारी हो जाता है। भारत में बच्चों के संरक्षण से संबंधित कानून, नीतियां और योजनाएं उनकी आयु के विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। इन सभी पहलुओं के मद्देनजर ही बच्चों के सभी प्रकार के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान विशेषकर बच्चों के संबंध में लाए गए हैं। ऐसी स्थिति में जब ऐसा कोई गैर सांस्कृतिक और सामाजिक पहलु जो उस समाज में ही पूर्णतः फलीभूत नहीं है जहां उसका प्रादुर्भाव हुआ है तो दूसरा समाज उसको कैसे मान्यता दे सकता है, जिसका अपना समाज स्थायी और आदर्श मूल्यों पर स्थापित हो तथा उसकी अपनी अलग तरह की समस्याएं हों। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का यही उद्देश्य है कि हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को प्राथमिकता देते हुए देश के विकास को दिशा दे। अतः ऐसे में हम किसी भी ऐसी परिकल्पना जिसका उद्देश्य हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के विरुद्ध हो तथा समाज में नई तरह की चुनौतियों को जन्म दे, मान्यता नहीं दी जा सकती। हम अपने बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और नए भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हैं।

स्वात्वाधिकारी **मुद्रक, प्रकाशक संजय भाटी ने** वत्स आफसैट मुद्दा हाऊस सी ब्लाक बारातघर के सामने चौडा रघुनाथपुर सेक्टर 22 नोएडा गौतमबुद्धनगर से मुद्रित एवं सेवा सदन देवला , ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर से प्रकाशित किया । RNI.NO.UPHIN/2010/33252, Mob. 9811291332 किसी भी विवाद के लिए पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी। **संपादक- मधु**

कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी सिंह ने क्राइम कंट्रोल के लिए दिए दिशा निर्देश

सुप्रीम न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह द्वारा स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम, शान्ति व्यवस्था बनाए रखने व अपराधियों एवं माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु राजपत्रित पुलिस अधिकारीगण/समस्त थाना प्रभारियों के साथ सेक्टर-108 पुलिस आयुक्त कार्यालय पर अपराध समीक्षा हेतु गोष्ठी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह द्वारा 06.01.2023 को स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम, शान्ति व्यवस्था बनाए रखने व अपराधियों एवं माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु राजपत्रित पुलिस अधिकारिगण/समस्त थाना प्रभारियों के साथ सेक्टर-108 पुलिस आयुक्त कार्यालय पर अपराध समीक्षा हेतु गोष्ठी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

1.आपराधिक घटनाओं के शत प्रतिशत अनावरण हेतु टीम गठित कर शीघ्र खुलासा करने, लंबित पड़ी विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण करने व घटना में शामिल अपराधियों व वांछित/वारंटी अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए उनको गिरफ्तार कर जेल भेजने हेतु निर्देशित किया गया।

2. गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने, शराब माफियाओं/ड्रग्स माफिया के

विरुद्ध टास्क फोर्स का गठन कर इन पर रोकथाम लगाने व कड़ी कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।

3.उनके द्वारा सभी पुलिस अधिकारीगण को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहते हुये प्रभावी गश्त करने, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम बनाए रखने, संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश हेतु प्रतिदिन बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग करने, अपने-अपने थाना क्षेत्रों में आपसी सौहार्द बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया।

4. महिला सुरक्षा इकाई द्वारा प्रतिदिन मॉल, मेट्रो स्टेशन, स्कूलों व प्रमुख बाजारों के आसपास निरंतर पेट्रोलिंग करने व महिलाओं के साथ प्रतिदिन संवाद करने हेतु निर्देशित किया गया।

5..मॉल, पब्स, रेस्टोरेंट आदि के मालिक व आसपास के संभ्रांत व्यक्तियों व ग्राम प्रधानों, शांति समिति के लोगों के के साथ मीटिंग करते हुए उन्हें ब्रीफ करते रहने व साथ मिलकर शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु निर्देशित किया गया।

6.थानों पर प्राप्त होने वाली सभी जन शिकायतों व महिलाओं की शिकायतों को तत्काल गंभीरता से लेकर नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही करने, आईजीआरएस पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने व प्रत्येक नागरिक के साथ मृद व्यवहार बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया।

7..पुलिस कमिश्नर द्वारा प्रमुख रूप से निर्देशित किया गया कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम सुनश्चित किए जाए जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त महिला पुलिसकर्मी द्वारा आने

वाली सभी महिलाओं की शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए रजिस्टर में अंकित करते हुए संबंधित को अवगत कराने व जल्द से जल्द उनकी समस्या का निस्तारण कराने एवं महिला हेल्प डेस्क पर फर्स्ट एड किट रखने हेतु भी निर्देशित किया गया ।

8. सभी थाना क्षेत्रों में जाम की समस्या के निस्तारण हेतु पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिस कर्मियों को तैनात करने, स्थानीय पुलिस को अतिक्रमण हटवाने व कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु निर्देशित किया गया।

9..सर्दियों/कोहरे को ध्यान में रखते हुए प्रभावी रूप से गश्त करने व चोरी की घटनाओं अंकुश लगाने रखने हेतु निर्देशित किया गया।

10.पीआरवी व पीसीआर वाहनों को अपने-अपने पॉइंट पर हूटर बजाकर गश्त करते रहने हेतु निर्देशित किया गया।

11. किसी भी घटना की सूचना प्राप्त होने पर पीसीआर वैन, पीआरवी व स्थानीय पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर कार्रवाई की जाए और मानव जीवन को प्राथमिकता पर रखते हुये किसी अपराधिक घटना/एक्सीडेंट में घायल हुए व्यक्ति को तुरंत उपचार हेतु ले जाया जाए।

12. थाना प्रभारियों/प्रतिसार निरीक्षक को थाना परिसर/पुलिस कार्यालयों की साफ सफाई रखने, पुलिसकर्मियों हेतु मेस, भोजन, बैरक की गुणवक्ता में सुधार करने हेतु निर्देशित किया गया।

13. उनके द्वारा सभी थाना प्रभारियों को थाने पर लंबित पड़े मॉल/लावारिस वाहनों का भी अति शीघ्र निस्तारण कराने हेतु भी निर्देशित किया गया।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर द्वारा सबसे अच्छा कार्य करने वाले 3 थाना प्रभारियों 1.बिसरख को 25,000 रुपए 2.थाना सेक्टर-20 को 15,000 रुपए व 3.थाना इकोटेक-1 को 10,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया एवं संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।

गोष्ठी के दौरान अपर पुलिस आयुक्त कानून/व्यवस्था श्री रवि शंकर छवि, अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय श्रीमती भारती सिंह, सभी डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी एवं समस्त थाना प्रभारी मौजूद रहे।

पुलिस हिरासत से फरार आरोपी गिरफ्तार पैर में लगी गोली

दो दरोगाओं सहित 6 पुलिसकर्मी किए गए थे निलंबित

(सुप्रीम न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट)

ग्रेटर नोएडा ईकोटेक थर्ड के अंतर्गत एनबीडब्ल्यू धारा 392/ 411 के में वांछित अभियुक्त राजीव और राका पुत्र रवि करण निवासी ग्राम खेड़ी तथा थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतम बुध नगर के हिरासत से फरार होने के संबंध में पुलिस कमिश्नर गौतम बुध नगर के आदेशानुसार कार्य में लापरवाही बरतने के संबंध में उप निरीक्षक कुलदीप कुमार, उप निरीक्षक मनोज राठी, आरक्षी सत्येंद्र कुमार, आरक्षी गौरव, और महिला आरक्षी रिचा के विरुद्ध8/23 मुकदमा पंजीकृत करते हुए निलंबित किया गया, थाना प्रभारी ईकोटेक थर्ड पवन कुमार को निलंबित किया गया तथा फरार अभियुक्त राजीव उर्फ राका उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया गया, जिसके बाद थाना ईकोटेक थर्ड पुलिस व पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए बदमाश के बीच हुई पुलिस मुठभेड़ में पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए बदमाश राजीव उर्फ राका पुत्र रवि करण निवासी ग्राम खेड़ी थाना सूरजपुर गौतम बुध नगर को गिरफ्तार कर थाने लाया जा रहा था कि दीपक चौकी क्षेत्र अंतर्गत 130 मीटर रोड की सर्विस रोड में पुलिस पार्टी की पिस्टल छीन कर हमलावर हो गया .

जिसमें पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गया और पुनः गिरफ्तार कर लिया गया जिसको घायल अवस्था में उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है अन्य अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

एक्सीडेंट में घायल हुई छात्रा के उपचार हेतु पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह द्वारा 10 लाख की देने की घोषणा

(सुप्रीम न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट)

गौतम बुध नगर। पुलिस कमिश्नर गौतम बुध नगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में थाना बीटा दो क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 31/12/2022 की रात्रि को एक्सीडेंट में घायल हुई छात्रा स्वीटी कुमारी के उपचार हेतु कमिश्नरेट गौतम बुध नगर पुलिस के द्वारा ड्ड10 लाख रुपए की धन राशि देने को कहा गया है।

यह धन राशि कमिश्नरेट गौतम बुध नगर के पुलिसकर्मियों के 1 दिन के वेतन से प्रदान कर सहायता करने के लिए कहा। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इंसानियत की मिसाइल कायम करते हुए अपने पुलिस परिवार और पुलिस की वर्दी का जन सामान्य की नजरों में सम्मान कायम कर दिया है।

समाज कल्याण विभाग करेगा मैगजीन लाँच

नई दिल्ली। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने सचिवालय में विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द जागरूकता अभियान शुरू करने के निर्देश दियें। जिसके बाद अधिकारियों ने बताया कि मैगजीन शुरू करने से संबंधित सभी तैयारियां कर ली गयीं हैं और इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही पहली मैगजीन प्रकाशित की जायेगी।

इसके लिए विभाग द्वारा एडिटोरियल बोर्ड के गठन की शुरुआत भी कर दी गई हैद्य एडिटोरियल बोर्ड के सदस्य जल्द ही समाज कल्याण विभाग के सभी ज़िला कार्यालयों के साथ बैठक करेंगे और उनसे विभाग में चल रही सुविधाओं के साथ अन्य योजनाओं का फीडबैक लेंगे। अधिकारियों ने यह भी बताया कि दिल्ली के लोगों तक जन कल्याण विभाग की सभी सुविधाओं को लेकर मीडिया के माध्यम से

विज्ञापन के साथ ही डीटीसी बसों, मेट्रो और अन्य जगह होर्डिंग भी लगाई जाएगी।

राजकुमार आनंद ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा संचालित जनकल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी के अभाव के चलते लोग सुविधाओं से वंचित न रहें इसके लिए हम सभी जरूरी कदम उठायेंगे। हमारा प्रयास है कि दिल्लीवासियों को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो जिससे ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। इसके लिए मैगजीन तथा अन्य माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सभी दिल्लीवासियों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

आज तय होगी खुशी दुबे की जमानत शर्तें

खुशी दुबे को भले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन अभी उन्हें जेल से बाहर आने में एक सप्ताह का समय लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के साथ ही आदेश दिया है कि सेशन कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगा। खुशी के वकील ने कानपुर देहात की पाक्सो कोर्ट में जमानत के पेपर दाखिल कर दिया है। अब आज खुशी की जमानत की शर्तों पर फैसला हो सकता है। इसके बाद पूरी प्रक्रिया में एक सप्ताह का समय लग सकता है। इसके बाद खुशी के जेल से बाहर आने की उम्मीद जताई जा रही है। बिकरू कांड की आरोपी खुशी दुबे का केस कानपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के आदेश की कॉपी गुरुवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शैलेंद्र कुमार वर्मा की अदालत में दाखिल कर दिया गया है। अब शुक्रवार को कोर्ट खुशी दुबे को किन शर्तों पर जमानत देनी है, यह तय करेगा। कोर्ट से जमानत की शर्तें तय होते ही सभी दस्तावेजों को पूरा करने के बाद शनिवार या सोमवार को जमानत दाखिल कर दी जाएगी। इसके बाद कोर्ट दाखिल जमानतों का सत्यापन कराएगी। फिर रिपोर्ट आने पर खुशी की रिहाई का परवाना जारी किया जाएगा। खुशी दुबे के अधिवक्ता ने बताया कि मंगल या बुधवार तक खुशी को जेल से बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अधिकतम एक सप्ताह का समय लग सकता है। उधर परिवार के लोगों और खुशी को जमानत दिलाने के लिए संघर्ष करने वाले लोगों में जेल से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार है।खुशी के खिलाफ बिकरू कांड के साथ ही सिम कार्ड मामले में भी एफआईआर दर्ज है। सिम कार्ड मामले में भले ही खुशी को जमानत मिल चुकी है, लेकिन अभी जमानत दाखिल नहीं की गई है। इसके चलते खुशी के बिकरू कांड और सिम कार्ड दोनों ही मामले में अधिवक्ता को जमानतें दाखिल करनी है। इसके बाद खुशी जेल से बाहर आ सकेंगी। खुशी के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित अपने वकीलों के पैनल के साथ खुशी को जेल से बाहर लाने में पूरी मशक्कत कर रहे हैं।

ज्ञानवापी मामले में 21 जनवरी को जवाब दाखिल करने के निर्देश

वाराणसी (उप्र),। वाराणसी की त्वरित सुनवायी अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की नियमित पूजा-अर्चना का अधिकार देने और परिसर को हिंदुओं को सौंपने की याचिका पर सरकार, विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट और मुस्लिम पक्ष से 21 जनवरी को जवाब दाखिल करने को कहा है। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुलभ प्रकाश ने बृहस्पतिवार को बताया कि सिविल न्यायाधीश सीनियर डिवीजन (त्वरित सुनवायी अदालत) महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में पिछले साल मई में अदालत के आदेश पर कराये गये वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान वजूखाने से मिले कथित शिवलिंग की पूजा-अर्चना करने, परिसर में मुसलमानों का प्रवेश बंद करने और परिसर को हिंदुओं को सौंपने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दूसरे पक्ष को 21 जनवरी को अपने जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि वादी किरण सिंह ने 24 मई 2022 को वाद दाखिल किया था, जिसमें वाराणसी के जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, अंजुमन इंतेजामिया कमेटी के साथ ही विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को प्रतिवादी बनाया गया था। बाद में 25 मई को जिला न्यायाधीश ए. के. विश्वेश ने मुकदमे को त्वरित सुनवायी अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। किरण सिंह ने अपनी याचिका में मुसलमानों का ज्ञानवापी परिसर में प्रवेश वर्जित करने, परिसर को हिंदुओं को सौंपने के साथ ही परिसर में मिले कथित शिवलिंग की नियमित पूजा-अर्चना करने के अधिकार की मांग की थी।

गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखा कर रवाना करेंगे प्रधानमंत्री मोदी : सूचना विभाग

वाराणसी (उप्र), । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 13 जनवरी को गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखा कर रवाना करेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गयी हैं। उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए असम से डिब्रूगढ़ तक दुनिया के सबसे लम्बे क्रूज पर्यटन को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि प्रशासन के पास प्रधानमंत्री कार्यालय से मोदी का कोई औपचारिक कार्यक्रम अभी नहीं आया है, लेकिन जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वाराणसी के मण्डलायुक्त कौशल राज शर्मा और जिलाधिकारी एस. राजलिंगम ने इस सिलसिले में संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग और अंतदेर्शीय जलमार्ग परिवहन के अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। मण्डलायुक्त शर्मा ने बृहस्पतिवार को बताया कि आगामी 13 जनवरी को वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक चलने वाले विश्व के सबसे लंबे क्रूज को रवाना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस क्रूज को रविदास घाट के सामने जेटी बोर्डिंग पॉइंट से हरी झंडी दिखायी जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक गंगा विलास क्रूज कुल 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। क्रूज द्वारा की जाने वाली यह दुनिया की सबसे लंबी यात्रा होगी। सूत्रों के अनुसार यह सफर कुल 50 दिनों का होगा और इस दौरान यह जलयान भारत और बांग्लादेश की 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरेगा। सूत्रों के अनुसार रास्ते में यह क्रूज 50 से अधिक जगहों पर रुकेगा, जिनमें विश्व विरासत स्थल भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह जलयान राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों से भी होकर गुजरेगा, इनमें सुंदरबन डेल्टा और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल हैं।

पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार फरार घोषित

बरेली,। बरेली की एक विशेष अदालत ने मारपीट और जान से मारने की नीयत से हमला किए जाने के वर्ष 2017 के एक मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री एवं समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता भगवत सरन गंगवार समेत नौ अभियुक्तों को फरार घोषित कर दिया है। विशेष लोक अभियोजक औचित्य द्विवेदी ने बृहस्पतिवार को बताया कि फरवरी 2017 में बरेली के नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी केसर सिंह गंगवार और उनके साथियों से मारपीट और जान से मारने की नीयत से हमला करने के मामले में पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। द्विवेदी के मुताबिक, गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद भगवत सरन गंगवार और आठ अन्य अभियुक्त अदालत में हाजिर नहीं हुए। अदालत के आदेश के बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर सकी। द्विवेदी के अनुसार, विशेष एमपी-एमएलए अदालत के न्यायाधीश देवाशीष ने बुधवार को इस मामले ह्लमें भगवत सरन गंगवार तथा आठ अन्य अभियुक्तों-वीरपाल सिंह गंगवार, विनोद दिवाकर, अनिल गंगवार, योगेंद्र सिंह गंगवार, ओमेंद्र सिंह गंगवार, पुरुषोत्तम गंगवार, शेर सिंह गंगवार और सुधीर कुमार मिश्रा को फरार घोषित कर दिया। द्विवेदी ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। इस मामले में एक अभियुक्त गोपाल गुप्ता को जमानत मिल चुकी है। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि वर्ष 2021 में वादी तत्कालीन भाजपा विधायक केसर सिंह गंगवार का कोरोना वायरस संक्रमण से निधन होने के बाद पुलिस ने मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। हालांकि, अदालत ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था।

कानपुर में हार्ट-ब्रेन अटैक से 25 और मौतें

कानपुरः- कानपुर में कड़ाके की सर्दी से कानपुर में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। रात का तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। ऐसे हालात में बीते गुरुवार देर रात तक के आंकड़ों की बात करें तो 24 घंटे में केवल दो सरकारी अस्पतालों में 25 लोगों की जान हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से चली गई। सभी अस्पतालों में मरीजों की पूरे दिन भीड़ लगी रही। हैलट, उर्सला और कार्डियोलाजी की डढऊ में मरीजों की संख्या अधिक रही। लक्ष्मीपत सिंहानिया हृदय रोग संस्थान के निदेशक डॉ. विनय कृष्णा ने बताया कि हृदय रोग से पीड़ित 723 मरीज आए। इनमें 41 मरीजों को भर्ती किया गया। 15 मरीजों की अस्पताल पहुंचने से पहले हो मौत गई। वहीं, सात मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दूसरी ओर, हैलट अस्पताल में लाई गईं उन्नाव की 65 वर्षीय संध्या, कल्याणपुर की 74 वर्षीय रजोल व कन्नौज के 70 वर्षीय जाकिर की मौत ब्रेन स्ट्रोक के कारण हो गई। नए साल में राहत नहीं नव वर्ष से अब तक लोगों को शीतलहर से राहत नहीं मिल सकी है। पहले 72 घंटों में उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण घना कोहरा, धुंध रहा। इसके बाद उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से कोहरा छट गया था। बुधवार व गुरुवार को मिश्रित हवाएं चलने के बाद गलन बढ़ गई। गुरुवार गलन ने शहरवासियों को परेशान कर दिया। गुरुवार को अधिकतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस हो गया जो बुधवार के मुकाबले 2 डिग्री अधिक रहा। इसके बावजूद यह सामान्य से 2.6 डिग्री कम रहा। इसी तरह रात का न्यूनतम पारा 3.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। 8-10 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं। विशेष बात यह रही कि रात भर हवा की दिशा उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी के बीच बदलती रही। शुक्रवार की सुबह भी 6 डिग्री तक पारा बना हुआ है। डॉक्टर की सलाह है कि गलन की स्थितियों में ठंडे पानी से बचाव करें। शरीर को पूरी तरह ढक कर निकलें। हाथ-पांव तापते रहें। बिना वजह के घरों से न निकलें। गुनगुने पानी से नहाएं। पानी जरूर पीते रहें। तेज हवा चलने के दौरान छोटे बच्चों को धूप में खुला न छोड़ें। सीएसए यूनिवर्सिटी के मौसम विज्ञानी डा. एसएन सुनील पांडेय के मुताबिक हवा की दिशा में बदलाव से घना कोहरा छाने की संभावना बढ़ गई है। आईएमडी ने शुक्रवार के लिए भी डार्क यलो अलर्ट जारी किया है। फिलहाल 7 जनवरी तक कोल्ड डे कंडीशन रहने की संभावना है।

मुंबई में योगी से अक्षय, बोनी, जैकी श्राफ की मुलाकात

ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को मुंबई में 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने पूरे वढ में 5जी इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से गांवों तक बेहतर हेल्थ सर्विस दिलाने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बड़े निवेश का दावा भी किया है। इसके अलावा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले रोड शो करने मुंबई पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिल्मी हस्तियों के बीच गुरुवार शाम को गर्मजोशी से मुलाकात हुई। फिल्म स्टार जैकी श्रॉफ ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी मुलाकात को सुखद अहसास बताया। उनकी शेयर की हुई तस्वीर में फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी भी नजर आ रहे हैं। जैकी श्रॉफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ बातचीत हमेशा आनंद देती है। फिल्म उद्योग के अपने करीबी दोस्तों सुनील शेट्टी, सुभाष घई और राहुल मित्रा के साथ आज मुंबई में उनसे मुलाकात हुई। वही राहुल मित्रा ने भी सीएम योगी से हुई मुलाकात को अविस्मरणीय बताते हुए उत्तर प्रदेश में बन रही दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी के लिए शुभकामनाएं दी। दो दिन मुंबई दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के साथ रिलायंस, टाटा संस, अडानी, गोदरेज, बिरला, पिरामल, वेदांता, पार्ले, हिंदुजा, लोढ़ा और रैमकी सहित 25 से ज्यादा उद्योगपतियों ने मुलाकात की। मैराथन कार्यक्रम के बीच उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ हुई विशेष मुलाकातों में मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत को पीएम नरेंद्र मोदी के 5 ट्रिलियन के संकल्प से जुड़ने का आह्वान किया।